

राजस्थान सरकार  
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग


क्रमांक:-एफ 1(3) आप्रसआ/ओला0/2018/18721-40 जयपुर, दिनांक 13.11.2018

अधिसूचना

जिला कलक्टर से प्राप्त खरीफ फसल 2018 (सम्वत् 2075) की गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान एफेक्टेड एरियाज (सस्पेंशन ऑफ प्रोसिडिंग्स) एक्ट, 1952 (राजस्थान अधिनियम संख्या 21 सन् 1952) की धारा 3 व 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान सरकार एतद् द्वारा राज्य के 1 जिले के आगे अंकित संख्या के ग्रामों को, जिनका नाम संलग्न सूची में अंकित है, अधिसूचित प्राकृतिक आपदा ओलावृष्टि से प्रभावित होने के कारण अभावग्रस्त घोषित करती है एवं निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 से 10 तक के प्रावधान ऐसे प्रभावित गांवों में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने से 6 माह तक लागू रहेंगे:-

क्र.सं.	नाम जिला	प्रस्तावित प्रभावित गांवों की संख्या
1.	श्रीगंगानगर	22
	कुल योग:-	22

राज्यपाल की आज्ञा से,


  
13/11/18

(हेमन्त कुमार गेरा)

शासन सचिव

13  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री
2. विशिष्ट सहायक, आ.प्र. एवं सहायता मंत्री
3. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, सम्बन्धित जिला प्रभारी मन्त्री राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, जल संसाधन/ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज., जयपुर।
5. निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राज., जयपुर।
6. निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, राज., जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राज., जयपुर।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज. जयपुर।
9. निजी सचिव, संबंधित जिला प्रभारी सचिव, राज., जयपुर।
10. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (एन.डी.एम. डिवीजन) गृह मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
11. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (डी.एम. डिवीजन) कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार नई दिल्ली।
12. निजी सचिव, संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, एनडीएमए भवन, नई दिल्ली।
13. रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग, राज., जयपुर।
14. सम्भागीय आयुक्त, बीकानेर, राज.।
15. जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर, राजस्थान।
16. निर्देशक जनसम्पर्क विभाग, राज., जयपुर।
17. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
18. आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग के समस्त अधिकारीगण।
19. रक्षित पत्रावली/सांख्यिकी शाखा, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग।
20. अधीक्षक, केन्द्रीय राजकीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित है। कृपया इसकी 50 प्रतियां इस विभाग को भिजवाये।

  
उप शासन सचिव